फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 1430/2018 अनवान मीनाक्षी बनाम देवाराम वगैरा अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 व धारा 151 सी.पी.सी.

(प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 01 सी.पी.सी. एवं रेस्टोरेशन)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22-8-2019	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि वकील प्रार्थी श्री भेराराम चौधरी द्वारा उक्त रिव्यु प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट, कोठार में दिनांक 07.06.2018 को प्रार्थीया की अनुपस्थिति में खारिज वाद को पुनः सुनवाई पर लिये जाने की दलील दी जा रही है, एवं साथ ही अप्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 19.12.2018 को प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किये जाने की मांग की जा रही हैं। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा दलील दी जा रही है कि प्रार्थीया को लोक अदालत का नोटिस तामील होने के बावजुद जानवुझकर केम्प में उपस्थित नहीं हुई, जिससे न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया। प्रार्थीया द्वारा केम्प में अनुपस्थिति का कोई स्पष्ट कारण पेश नहीं किया गया एवं साथ ही रिव्यु प्रार्थना भी देरी से पेश किया गया एवं अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का जवाव भी समय पर नहीं दिया गया है। जिससे रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से यह जाहिर हैं कि दिनांक 07.06.2018 को पारित आदेश प्रार्थीया की अनुपस्थिति में हुआ है। यह वात सही हैं कि प्रार्थीया को न्यायालय का नोटिस तामील हुआ था, परन्तु प्रार्थीया द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का जो जवाव पेश किया गया है, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी अल्प व्यस्क मिनाक्षी की प्राकृतिक माता एवं कुदरती सरक्षक को ससुराल ग्राम कोठार में जान का खतरा होने से व अन्य अपरिहार्य कारणो से लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाई। वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी आपत्ति उठाई गई कि नाबालिग की ओर से वाद पत्र प्रस्तुती से पुर्व सरंक्षक नियुक्त नहीं करवाया, जिससे भी प्रकरण चलने योग्य नहीं होना बताया गया। हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीया शांति जो कि मिनाक्षी नाबालिग की कुदरती वलियामाता है, एक नाबालिग का माता से अच्छा सरंक्षक नहीं होता है। जिससे आदेश 32 नियम 01 सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार प्रार्थना पत्र अथवा वाद खारिज किया जाना भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं हैं। अतः बाद अवलोकन पत्रावली वकील अप्रार्थी की आपत्तियों को खारिज किया जाता है। दिनांक 07.06.2018 को प्रार्थीया की अनुपस्थिति में खारिज वाद को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रिव्यु प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद के संलग्न होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner